न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	99/2022
दायर दिनांक	:	06.02.2022
निर्णय दिनांक	:	09.07.2025

1. सुनिता देवी पत्नि श्रीराम जाति मीना निवासी जरोता तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. कमलेश पुत्र किशोर
2. कैलाशी पुत्री किशोर
3. कोयल पत्री किशोर
4. ममता पुत्र किशोर
5. मनभरी पत्नि किशोर
6. मीरा पुत्री किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
7. रजनी पुत्र किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
8. रामचन्द्र पुत्र किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
9. छोटेलाल पुत्र छीतर
10. हजारी लाल पुत्र छीतर
11. कालू पुत्र छीतर
12. जयराम पुत्र छीतर
   समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा राजस्थान
13. यूको बैक शाखा सैंथल जिला दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
14. ओरियंटन बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा दौसा जिला दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंथल जिला दौसा
16. उप पंजीयक सैंथल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीया अधिवक्ता : श्री सतीश परीक एडवोकेट

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया द्वारा एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पीलवा पटवार क्षेत्र तीतरवाड़ा कला भू अभिलख निरीक्षक क्षेत्र सैंथल तहसील सैंथल में भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 2.45 है. स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 12 का हिस्सा 1/2 है। उपरोक्त वर्णित भूमि का खातेदारों के मध्य तकास्मा नहीं हुआ है एवं भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

शामलाती है। वादीया ने प्रतिवादीगण से भूमि का विभाजन करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण वादीया से झगडा करने पर आमादा हो गये एवं उन्होंने शामलाती भूमि का विभाजन करने से मना किया। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का सरस–नरस के आधार पर तकास्मा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड से भेजी गई, परन्तु रजिस्टर्ड एडी से तामिल हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड एडी तामिल को एक माह से भी अधिक की अवधि हो जाने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीया द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। तहसीलदार से ग्राम पीलवा से संबंधित प्रश्नगत आराजी की कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय प्राप्त हुयी।

कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। वादीया ने कुर्रेजात अनुसार तकास्मा किये जाने एवं प्रकरण में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में ग्राम पीलवा स्थित प्रश्नगत आराजी का तकास्मा किये जाने एवं प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में तहसीलदार ने ग्राम पीलवा स्थित प्रश्नगत आराजी की कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022 से स्थायी) अनुसार ग्राम पीलवा तहसील सैंथल स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 2.4500 है० वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादीया ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। निष्कर्षतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पीलवा तहसील सैंथल स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 2.4500 है० का तकास्मा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है०)	किस्म
1.	सुनिता देवी पत्नी श्रीराम जाति मीना सा. जसोता खातेदार	45 / 1	1.17	बंजड

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

2.	छोटेलाल, कालू, हजारीलाल, जयराम पि0 छीतर हिस्सा 4/5 मनभरी पत्नी किशोर, कमलेश पुत्र किशोर, कैलाशी, कोयल, ममता पुत्रीयान किशोर हि. 1/8 राहिन यूको बैंक शाखा सैंथल मूर्तहीन, रामचन्द्र पुत्र किशोर, मीरा, रजनी पुत्रीयान किशोर हि0 3/40 जाति जोगी सा. देह खातेदार	45/2	1.17	बंजड
3.	शामलाती	45/3	0.11	बंजड (माताजी के जाने हेतु रास्ते हेतु)

निर्णयानुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सैंथल को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(उपखण्ड अधिकारी
सैंथल)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सैंथल
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर॰ए॰एस॰

1. सुनिता देवी पत्नि श्रीराम जाति मीना निवासी जसोता तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. कमलेश पुत्र किशोर
2. कैलाशी पुत्री किशोर
3. कोयल पत्री किशोर
4. ममता पुत्र किशोर
5. मनभरी पत्नि किशोर
6. मीरा पुत्री किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
7. रजनी पुत्र किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
8. रामचन्द्र पुत्र किशोर नाबालिग जरिये प्रकृर्तिक संरक्षिका माता मनभरी पत्नि किशोर
9. छोटेलाल पुत्र छीतर
10. हजारी लाल पुत्र छीतर
11. कालू पुत्र छीतर
12. जयराम पुत्र छीतर

समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा राजस्थान

13. यूको बैंक शाखा सैंथल जिला दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
14. ओरियंटन बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा दौसा जिला दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंथल जिला दौसा
16. उप पंजीयक सैंथल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा

मुकदमा नम्बर : 99 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर॰ए॰एस॰ एवं हाजरी श्री सतीश पारीक अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पीलवा तहसील सैंथल स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 2.4500 है॰ का तकास्मा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है॰)	किस्म
1.	सुनिता देवी पत्नी श्रीराम जाति मीना सा. जसोता खातेदार	45 / 1	1.17	बंजड
2.	छोटेलाल, कालू, हजारीलाल, जयराम पि0 छीतर हिस्सा 4 / 5 मनभरी पत्नी किशोर, कमलेश पुत्र किशोर, कैलाशी, कोयल, ममता पुत्रीयान किशोर हि. 1 / 8 राहिन यूको बैंक शाखा सैंथल मूर्तहीन, रामचन्द्र पुत्र किशोर, मीरा, रजनी पुत्रीयान किशोर हि0 3 / 40 जाति जोगी सा. देह खातेदार	45 / 2	1.17	बंजड
3.	शामलाती	45 / 3	0.11	बंजड (माताजी के जाने हेतु रास्ते हेतु)

तहसीलदार कुंडल डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करे।

निज -------- मुबलिग ------------ बाबत --------- खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह ------------- फीसादी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक --------- अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी सैंथल

ओहदा

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सैंथल

मुकदमा नम्बर : 99 / 2022

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल